(51)

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

आदेश संख्या-9/आ0-6-01/2008 सा0प्र0-12824-पटना 15, दिनांक- 15 सितम्बर, 2014

श्री शिव कुमार प्रसाद, तत्कालीन निजी सहायक, श्रम संसाधन विभाग, सम्प्रति राज्य आयुक्त निःशक्तता (निलंबित-मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना) के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रथम सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में आयोग के सदस्यों एवं कर्मियों से सांठगाठ कर भ्रष्ट आचरण अपना कर अयोग्य रहते हुए भी अनुशंसा प्राप्त करने में सफल रहने के आरोप में निगरानी थाना कांड संख्या 19/2005 दिनांक 29.12.2005 विशेष कांड संख्या 30/2005 दर्ज की गई थी।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय आदेश संख्या 3670 दिनांक 02.04.2008 के द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई थी। श्री प्रसाद के विरूद्ध उक्त आरोप बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 की धारा 10 एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम (3) के विरूद्ध होने के कारण आरोप की गंभीरता को देखते हुए विभागीय ज्ञाप संख्या 2872 दिनांक 03.03.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई तथा आदेश संख्या 5902 दिनांक 02.05.2014 द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से निलम्बित करते हुए उनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना निर्धारित किया गया।

3. उपरोक्त प्रासंगिक आरोप के संदर्भ में श्री प्रसाद के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 07.05.2014 में कहा गया कि बिहार प्रशासनिक सेवा प्रथम सीमित प्रतियोगिता परीक्षा 2003 में कथित गड़बड़ी के संदर्भ में तैयार की गई फर्जी तथा छद्म कथानक के आधार पर दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या 019/2005 दिनांक 29.12.2005 में कतिपय अन्य सरकारी कर्मियों के साथ उन्हें भी भारतीय दण्ड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 तथा बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 की विभिन्न धाराओं के तहत गैर प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है। उनके पैतृक विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा अभियोजन की स्वीकृति के बाद मामला माननीय निगरानी न्यायालय पटना में विचाराधीन है। इस मामले में संबंधित थाना कांड में अभियोजन की स्वीकृति के लगभग छः वर्ष के बाद संबंधित अनुसंधान पदाधिकारी द्वारा काल्पनिक, मनगढंत तथा दुराग्रहपूर्ण तरीके से रचित एवं प्रतिवेदित आरोपों को ही साक्ष्य अभिलेख घोषित कर बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के संगत प्रावधानों के प्रतिकूल पदीय कर्तव्य का दुरूपयोग एवं अनुशासनहीनता मानते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17/19 के संगत प्रावधानों के अधीन विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया है। श्री प्रसाद के द्वारा कुल दस दस्तावेजों की मांग की गई ताकि वे अपना पक्ष रख सकें।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 6200 दिनांक 09.05.2014 के द्वारा श्री प्रसाद को निगरानी विभाग से प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रति प्राप्त कर विभागीय कार्यवाही में अपना पक्ष रखने हेतु निदेश दिया गया एवं सुनवाई करते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में यह प्रतिवेदित किया गया कि श्री प्रसाद प्रथम सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवार रहे हैं और इनकी भी उत्तर पुस्तिकाओं में 85 बार रबर का प्रयोग का साक्ष्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में होने की पुष्टि की गयी है। इन परिस्थितियों में आरोपित कर्मी का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उनका किसी भी बिचौलिया से सांठगाठ नहीं रही होगी तथा बिहार लोक सेवा आयोग में इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गयी थी इसलिए आरोपित निजी सहायक पूर्णतः आरोप एवं इस घटनाक्रम में संलिप्तता से इन्कार नहीं कर सकते हैं।

5. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों पर श्री प्रसाद से विभागीय ज्ञापांक 8761 दिनांक 27.06.2014 द्वारा उनसे अभ्यावेदन/स्पष्टीकरण की मांग की गई। उक्त के आलोक में श्री प्रसाद द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 11.07.2014 में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष पर असहमति व्यक्त करते हुए निम्न मुख्य तथ्य प्रस्तुत किया गया :-

(i) माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका है कि निगरानी विभाग के अनुसंधान प्रतिवेदन अथवा पत्राचार के आधार पर विभागीय कार्यवाही में निष्कर्ष अंकित किया जाना विधि-विरूद्ध है।

(ii) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा 2003 में आयोग के सदस्यों एवं कर्मियों से सांठ-गाठ कर भ्रष्ट आचरण अपना कर अयोग्य रहते हुए भी अनुशंसा प्राप्त करने में आरोपित कर्मी की भूमिका का उपलब्ध साक्ष्य के रूप में केवल अनुसंधान पदाधिकारी का प्रतिवेदन मात्र है, जो साक्ष्य नहीं होता है। अनुसंधान प्रतिवेदन का संपरीक्षण संबंधित न्यायालय द्वारा होता है।

(iii) जाँच प्रतिवेदन में आरोप पत्र में लगाये गये आरोप से अलग हटकर एक नया आरोप स्ट्रांग रूम का ताला खुला, स्कैन के नाम पर कम्प्यूटर कक्ष में उत्तर पुस्तिका की टेम्परिंग की गई एवं रबर का प्रयोग अप्रत्याशित रूप से किया गया। यह आरोप मनमाने ढंग से बिना किसी साक्ष्य के लगाया गया है।

(iv) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के उप नियम (4) के अनुसार आरोप के प्रत्येक मद के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु अनुरोध के बावजूद संबंधित महत्वपूर्ण कागजात की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई।

6. पुलिस अधीक्षक, निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार, पटना के पत्रांक 1713 दिनांक 26.12.2007 एवं पत्रांक 98 दिनांक 25.01.2008 के द्वारा प्राप्त दस्तावेजों, श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त यह पाया गया है कि :-

(i) बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों/बिचौलियों/कर्मियों से साँठ-गाँठ कर एवं भ्रष्टाचारपूर्ण आचरण अपना कर प्रथम सीमित प्रतियोगिता परीक्षा, 2003 में उप समाहर्त्ता के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करवाने संबंधी आरोप के लिए निगरानी थाना कांड संख्या-19/05 दिनांक 19.12.05 दर्ज किया गया था, जिसमें अनुसंधानोपरान्त श्री शिव कुमार प्रसाद सहित अन्य 41 व्यक्तियों को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था। पुलिस अधीक्षक, निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो) के प्रासंगिक पत्र के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक 3670 दिनांक 02.04.2008 के द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या-02/08 दिनांक 11.01.2008 माननीय न्यायालय में समर्पित किया जा चुका है।

(ii) पुलिस अधीक्षक, निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो) के प्रासंगिक पत्र के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि " श्री शिव कुमार प्रसाद, जन्म तिथि-07.06.1963, पे0-बालेश्वर महतो, पता-आवास संख्या-3ए, पथ संख्या-23, गर्दनीबाग, पटना-2 की उत्तर पुस्तिका पर 85 बार रबड़ प्रयोग के साक्ष्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला से मिले हैं।"

श्री प्रसाद के द्वारा उत्तर पुस्तिका में 85 बार रबड़ प्रयोग किये जाने का साक्ष्य अपने आप में एक अकाट्य साक्ष्य है, जो श्री प्रसाद के विरूद्ध लगाये गये आरोप को स्वतः प्रमाणित करता है।

(iii) पुलिस अधीक्षक, निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो) के पत्रांक 754 दिनांक 13.12.2007 के द्वारा प्राप्त पुलिस अधीक्षक-सह-अनुसंधानकर्त्ता के पत्रांक 727दिनांक 06.12.2007 में स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग की प्रथम सीमित प्रतियोगिता परीक्षा 2003 जिसमें 184 डिप्टी कलक्टर के पद पर आयोग ने अनुशंसा भेजी है, के अनुशंसित उम्मीदवारों के द्वितीय पत्र के ओ0एम0आर0 शीट में रेन्डम सेम्पलिंग पद्धति से 20-20 उत्तर पुस्तिकाओं (सफल के अलग एवं असफल के अलग) जाँच कराये गये थ तो सफल अभ्यर्थियों के उत्तर पुस्तिका में 72 से 159 बार रबर प्रयोग के

साक्ष्य मिले थे जबकि असफल अभ्यर्थियों के उत्तर पुस्तिका में 0 से 23 बार रबर प्रयोग के साक्ष्य मिले थे। जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न प्राथमिकी में यह सुस्थापित हो चुका था कि 72 से 159 बार टेम्परिंग एवं रबर प्रयोग अप्रत्याशित रूप से बहुत अधिक है जो बिना सुनियोजित साजिश के नहीं किये जा सकते थे। इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जाँच प्रतिवेदन के आलोक में माननीय न्यायालय के आदेश लेकर सभी सफल अभ्यर्थियों के पेपर-2 के उत्तर पुस्तिका का विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बिहार, पटना से जाँच करायी गयी। तदन्तर प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा ब्यूरो में वरीय पदाधिकारियों के द्वारा करने के उपरान्त अनुसंधान की एकरूपता के दृष्टि से उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर 72 तक रबर प्रयोग करने वाले सभी अभ्यर्थियों के विरूद्ध पाये गये साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र के साक्ष्य उपलब्ध प्रतीत होते हैं।

7. विधि विज्ञान प्रयोगशाला से पेपर-2 के उत्तर पुस्तिका की जाँच के उपरान्त श्री प्रसाद की उत्तर पुस्तिका में 85 बार रबर के प्रयोग का साक्ष्य मिला है एवं श्री प्रसाद बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रथम सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में लाभार्थी की सूची में शामिल हैं।

संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन का निष्कर्ष में यह उल्लेख किया गया है कि मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु यह है कि स्ट्रांग रूम का ताला खुला एवं स्कैनिंग के नाम पर कम्प्यूटर कक्ष में उत्तर पुस्तिकाओं की टेम्परिंग की गयी एवं रबर के अप्रत्याशित उपयोग से गलत उत्तर को सही उत्तर बनाया गया, यह सही है। बड़े पैमाने पर रबर का प्रयोग एवं उत्तर पुस्तिकाओं में टेम्परिंग को अनुसंधान के दौरान सही पाया गया। चूँकि आरोपित निजी सहायक प्रथम सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवार रहे हैं और इनकी भी उत्तर पुस्तिकाओं में 85 बार रबर का प्रयोग का साक्ष्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में होने की पुष्टि की गयी है। इन परिस्थितियों में आरोपित कर्मी का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उनका किसी भी बिचौलिया से सांठगाठ नहीं रही होगी।

8. श्री शिव कुमार प्रसाद, तत्कालीन निजी सहायक, श्रम संसाधन विभाग, सम्प्रति राज्य आयुक्त निःशक्तता (निलंबित-मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना) के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोप की गंभीरता तथा उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्री प्रसाद के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम (3) एवं (4) तथा बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 की धारा 10 एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (xi) के प्रावधानों के तहत उक्त प्रमाणित आरोपों के आधार पर आदेश निर्गत होने की तिथि से सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

12/11/14

(अनिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः-9/आ0-6-01/2008सा0प्र0- 12824 पटना, दिनांक- 15 सितम्बर, 2014

प्रतिलिपिः-महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, निगरानी विभाग/श्रम संसाधन विभाग/पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना/राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार/आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/श्री शिव कुमार प्रसाद, निजी सहायक (निलम्बित), आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/11/14

सरकार के अपर सचिव।